न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलमगरा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारीः अनुपमा भटनागर (आर.जे.एस.)
दाण्डिक मूल प्र. सं.: 42/2026 सी.आई.एस. नं. 144/15
सी.एन.आर. नम्बर : RJRS100002442015

राज्य बनाम बदामी व अन्य

परिवादी/अभियोगी का नाम	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
अभियुक्तगण का नाम एवं पता	1. श्रीमती बदामी पत्नी स्व. छोगालाल बागरिया, उम्र 51 वर्ष, निवासी जीतावास, थाना रेलमगरा, जिला राजसमन्द।**(मफरूर)** 2. छोगालाल पुत्र वरदा बागरिया, आयु 31 वर्ष, निवासी भैरूखेड़ा, थाना कुंवारिया, जिला राजसमन्द।**(मफरूर)** 3. रोड़ीलाल पुत्र भुरा बागरिया, आयु 31 वर्ष, निवासी पनोतिया, थाना रेलमगरा, जिला राजसमन्द। 4. भैरूलाल पुत्र भुरा बागरिया, आयु 36 वर्ष, निवासी पनोतिया, थाना रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
अपराध	धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भा. द.स.
प्रकरण संस्थित करने की दिनांक	02.05.2015
अभियुक्त का कथन	आरोप अस्वीकार, अन्वीक्षा चाही गयी
अभियुक्त साक्षीगण	पेश नहीं किये गये
अभियोजन साक्षीगण	पी.ड.01 रतनलाल, पी.ड.02 भैरूलाल, पी.ड.03 डालीबाई, पी.ड.04 प्रकाशचन्द्र पी.ड.05 डॉ. कमल नयन पी.ड.06 ओमप्रकाश

निर्णय दिनांक	02.04.2026
अंतिम निर्णय	02.04.2026
अधिवक्ता परिवादी/अभियोगी	श्री राकेश कुमार जांगिड़
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री लालसिंह राठौड़

—:: नि र्ण य ::— दिनाँकः 02.04.2026

1. हस्तगत प्रकरण का उद्भव दिनांक 02.05.2015 को थानाधिकारी रेलमगरा द्वारा जरिये सहायक लोक अभियोजक के अभियुक्तगण बदामी, छोगालाल, रोड़ीलाल एवं भैरूलाल के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भा.द.सं. में पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 21.04.2015 को प्रार्थी कालुराम पुत्र नंदा बागरिया, उम्र 20 वर्ष, निवासी बैठुम्बी, थाना रेलमगरा, जिला राजसमन्द ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना रेलमगरा के समक्ष इस आशय की पेश की कि दिनांक 20.04.2015 को करीब 7:00 बजे सांय वह अपनी माता डालीबाई, उसकी पत्नी सोसर के साथ अपने ननिहाल ग्राम जीतावास अपने मामा भैरूलाल के यहां मांगते रूपये देने के लिए आये थे। रात को वह अपनी माता व पत्नी सहित अपने मामा भैरूलालके यहां ग्राम जीतावास ही रूक गये थे। आज सुबह करीब 6:00 बजे वह अपने मामा को मांगते रूपये देकर जाने लगा तो देवा पिता भूरा बागरिया, निवासी पनोतिया, वेणा पिता भुरा बागरिया, निवासी पनोतिया, भैरू पिता भुरा बागरिया, निवासी पनोतिया, रोड़ा पिता भुरा बागरिया, निवासी पनोतिया, छोगा पुत्र वरदा बागरिया निवासी भैरूखेड़ा (कुंवारिया) एवं बदामी पत्नी छोगा बागरिया, निवासी जीतावास, नारायण पिता छोगा बागरिया, निवासी जीतावास उक्त सभी लोग हम सलाह होकर उसके साथ उसकी माता डाली, उसकी पत्नी सोसर के साथ लाठी एवं कुंट से मारपीट करने लग गये। बीच बचाव करने आये उसके मामा भैरूलाल एवं रतनलाल के साथ भी लाठी एवं कुंट से गम्भीर मारपीट की। मारपीट से उसके सिर पर, कान पर, दांये पै, दाढ़ी पर तथा उसकी आंखों के पास, उसकी माता डाली के दांये हाथ एवं सिर पर एवं उसकी पत्नी सोसर के सिर, बीच बचाव करने आये उसके मामा रतनलाल के सिर पर, मुंह पर तथा दांये हाथ की अगुंलियों व हाथ पर, पसली एवं जांघों व हाथ पर, उसके मामा भैरूलाल के कान पर, बांये हाथ की भुजा पर चोटें कारित हुई। रतनलाल की हालत अभी गम्भीर है जो रेलमगरा अस्पताल में ईलाजरत है। उक्त लोगों में से बदामी पत्नी छोगा, नारायण

पिता छोगा निवासी जीतावास ने उसने जो मामा को बीस हजार रूपये देने के लिए आया था उक्त रूपये लुटने की नियत से अन्य लोगों को बुलाया और सुबह उसकी पत्नी के साथ नारायण पिता छोगा व अन्य लोग ज्यादती करने लगे जिसका उसने विरोध किया तो सभी ने उनके उपर हमला कर दिया और उनके साथ गम्भीर चोटें कारित की व बीस हजार रूपये भी छीन कर ले लिये। सुबह वे थाने पर आने लगे किन्तु उक्त लोगों ने उनको धमकी दी कि थाने की तरफ गये तो तुम्हे रास्ते में ही मार डालेंगे। जिससे वे डर के मारे अब श्रीमान् के समक्ष पेश हुए है। उक्त सभी लोगों ने उनको जान से मारने की नियत से उनके उपर जानलेवा हमला किया है। अतः प्रार्थना की है कि उक्त लोगों को तुरन्त गिरफ्तार कर उन्हें सुरक्षा प्रदान फरमावे तथा उनके शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया जाकर उचित कानूनी कार्यवाही फरमावे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना रेलमगरा द्वारा प्रकरण संख्या 121/15 अपराध अंतर्गत धारा 143, 341, 323 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण श्रीमती बदामी, छोगालाल, रोड़ीलाल, भैरूलाल के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भा.द.सं. में प्रस्तुत किया जिसका प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित आने पर बहस चार्ज सुनी जाकर उन्हें धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भा.द.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उन्होंने आरोप को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाहीं।

4- अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाह पेश कर परीक्षित कराये गयेः—

क्र.सं.	अंकन	गवाह का नाम
1	पी.ड.01	रतनलाल
2	पी.ड.02	भैरूलाल
3	पी.ड.03	डालीबाई
4	पी.ड.04	प्रकाशचन्द्र
5	पी.ड.05	डॉ. कमलनयन
6	पी.ड.06	ओमप्रकाश

दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न लिखित दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित कराये गयेः–

क्र.सं.	प्रदर्श	दस्तावेज
1	प्रदर्श पी–1	चोट प्रतिवेदन रतनलाल
2	प्रदर्श पी–2	नक्शा मौका घटना स्थल
3	प्रदर्श पी–3	पुलिस बयान प्रकाशचन्द्र
4	प्रदर्श पी–4	चोट प्रतिवेदन कालुराम
5	प्रदर्श पी–5	चोट प्रतिवेदन भैरूलाल
6	प्रदर्श पी–6	एक्सरे प्लेट रतनलाल
7	प्रदर्श पी–7	टाईपशुदा रिपोर्ट
8	प्रदर्श पी–8	चाक एफ.आई.आर.

5. अभियुक्तगण को धारा 313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया जिसमें उन्होंने गवाहान के कथनों को गलत होना जाहिर करते हुये स्वयं को निर्दोष होना बताया एवं साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा। साक्ष्य सफाई प्रस्तुति से इन्कार करने पर साक्ष्य सफाई का अवसर बन्द किया गया।

6. बहस अन्तिम सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू निम्न हैः–

1. आया अभियुक्तगण ने दिनांक 20.04.2015 को सायं करीब 7:00 बजे मौजा जीतावास में अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थी कालुराम को जाते हुए को स्वेच्छया रोककर उसे उसकी इच्छित दिशा में जाने से निवारित कर उसका सदोष अवराध कारित किया। प्रार्थी कालुराम के साथ स्वेच्छया कुन्द हथियारों लाठी, कुंट आदि से मारपीट कर प्रार्थी को स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की एवं प्रार्थी कालुराम, रतनलाल व भैरूलाल को अस्थि भंग कारित कर स्वेच्छया गम्भीर उपहतियां कारित की ? जो कि धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराध है।

2. यदि हाँ तो दण्ड की उचित मात्रा क्या हो ?

8. उपरोक्त बिन्दु के अवधारण हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 06

गवाहान् परीक्षित कराये गये हैं, जिनमें से प्रमुख गवाह मजरूब रतनलाल पी.ड.01 एवं मजरूब भैरूलाल प्रदर्श पी–2 है, जिन्होंने दौराने मुख्य परीक्षण में 2015 की बात होना बताते हुए ग्राम जीतावास में सुबह 7:00 बजे के करीब डालीबाई के साथ देवा, भैरूलाल, वेणीलाल, रोड़ीलाल द्वारा मारपीट किये जाना देखने पर बीच बचाव करने पर उनके साथ भी मारपीट किया जाना बताया है।

मजरूब रतनलाल द्वारा उस पर लोहे के सरिये से वार करने व लकड़ी से आंख के नीचे चोट मारने का कथन करते हुए उसकी हाथ की अंगुलियां और दूसरा हाथ भी तोड़ने, उसके बेहोश होने का कथन किया है और अस्पताल रेफर करने पर उसका मेडिकलपरीक्षण करवा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 बनाया जाना बताया है।

गवाह पी.ड.02 भैरूलाल अभियुक्तगण द्वारा रतनलाल को खूब मारने एवं नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी–2 पर अपनी अंगुठा निशानी होना बताता है।

9. गवाह पी.ड.03 डालीबाई अपने मुख्य परीक्षण में 10 साल पहले की बात होना बताते हुए उसकी जेठानी बदामी व उसके पीहर वालो द्वारा रतन व भाणेज के साथ मारपीट करना और मारपीट करने वालों में देवा, भैरू, वेणा, छोगालाल व कालु पनोतिया का होना बताया है। लाठी, पत्थर, हाथों से उनके साथ मारपीट करने पर उसके हाथ व सिर पर टांके आना बताया है।

10. गवाह पी.ड.04 प्रकाशचन्द्र नक्शा मौका पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन कर पक्षद्रोही घोषित हुआ है और दौराने जिरह खाली कागजात पर हस्ताक्षना करना बताता है।

11. गवाह पी.ड.05 डॉ. कमलनयन दिनांक 21.04.2015 को सी.एच.सी. रेलमगरा में थानाधिकारी के पद पर तैनात होना और उस दिन आहतगण, कालुराम व भैरूलाल के सिर पर आयी चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 व प्रदर्श पी–5 बनाने जिनके चोटे सामान्य प्रकृति की होने तथा अन्य आहत रतनलाल की चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 बनाने जिसके चोट संख्या 03 पर बाद अवलोकन एक्सरे प्रदर्श पी–6 राय देने पर गम्भीर प्रकृति की पायी जाना बताते हुए उक्त चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1, 4 व 5 पर स्वयं के हस्ताक्षर व आहतगण के अंगुठा निशानी तथा कलम संख्या–6 में आहतगण के पहचान चिन्ह अंकित होना बताया है।

12. गवाह पी.ड.06 ओमप्रकाश प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है जिसने दौराने मुख्य परीक्षण दिनांक 21.04.2015 को रेलमगरा में ए.एस.आई. के पद पर पदस्थापित होने और प्रकरण संख्या 121/15 की तफ्तीश उसके जिम्मे होने जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 पर थानाधिकारी के हस्ताक्षर व पुलिस कार्यवाही का अंकन होना, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–8 होना बताते हुए दौराने अनुसंधान गवाहान् के बयान लेखबद्ध किया जाना और आहतणग का मेडिकल कराकर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1, पी–4 व पी–5 व एक्सरे प्रदर्श पी–6 शामिल पत्रावली करने, घटना स्थल का नकशा मौका प्रदर्श पी–2 बनाने जिस पर गवाहान् व प्रार्थी की अगुंठा निशानी होना बताते हुए आरोपीगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 भा.द.सं. प्रमाणित मानकर पत्रावली एस.एच.ओ. को सुपुर्द करने का कथन सशपथ रूप से किया गया है। दौराने प्रतिपरीक्षण यह गवाह अभियुक्तगण के द्वारा भी आहतगण के विरूद्ध क्रोस मुकदमा दर्ज कराये जाने से अनभिज्ञता जाहिर करता है और इस सुझाव को स्वीकार करता है कि घटना स्थल सार्वजनिक स्थान होकर वहां लोगों की आवाजाही रहती है। यह सुझाव भी स्वीकार करता है कि आहतगण आपराधिक प्रकृति के हो।

13. यहां अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा मजरूबान से विस्तृत जिरह की गयी है जिसमें मजरूब रतनलाल द्वारा यह सुझाव स्वीकार किया है कि मारपीट से करीबन उसे 10 चोट आयी थी। मजरूब भैरूलाल द्वारा दौराने जिरह यह कथन किया गया है कि ''मैं जब मौके पर पहुंचा तब रतनलाल बेहोशी की स्थिति में था मारपीट से रतनलाल के 10–15 चोटें आयी थी।''

14. परिवादी कालुराम हालांकि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया जिसके द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, परन्तु परिवादी की रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 की ताईद गवाह पी.ड.01 रतनलाल, पी.डब्ल्यू 02 भैरूलाल, पी.ड.3 डालीबाई द्वारा सशपथ रूप से न्यायालय के समक्ष की गयी है। डॉ. कमल नयन शर्मा पी.ड.05 द्वारा भी आहतगण के आयी चोटों एवं एक्सरे रिपोर्ट की ताईद न्यायालय के समक्ष सशपथ रूप से की गयी है और अनुसंधान अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान की ताईद करते हुए अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता दर्शायी गयी है जिससे धारा 325 भा.द.सं. का अपराध भी प्रमाणित पाया जाता है। यहां मजरूब रतनलाल एवं भैरूलाल द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में मारपीट करने वालो में भैरूलाल व रोड़ीलाल का नाम स्पष्ट रूप से लिया गया है। हालांकि अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा

आहतगण को भी अपराधी प्रवृति होने का सुझाव प्रकट किया है परन्तु इस संदर्भ में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। सम्पूर्ण विवेचनानुसार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से उक्त अभियुक्तगण की आरोपित अपराध में संलिप्तता संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है। अतः आरोपित अपराध में अभियुक्तगण भैरूलाल एवं रोड़ीलाल को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325सपठित धारा 34 भा.द.सं. में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

15. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण रोड़ीलाल पुत्र भुरा बागरिया, आयु 31 वर्ष, निवासी पनोतिया, थाना रेलमगरा, जिला राजसमन्द एवं भैरूलाल पुत्र भुरा बागरिया, आयु 36 वर्ष, निवासी पनोतिया, थाना रेलमगरा, जिला राजसमन्द आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भा.द.सं. में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(अनुपमा भटनागर)

सजा के बिन्दु पर सुना गयाः–

16. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया है कि अभियुक्तगण प्रकरण में वर्ष 2015 से अंवीक्षा भुगत रहे हैं। अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के होकर अनपढ़ व्यक्ति है जो मजदूरी (झाडु बेचना) कर जीवन यापन करते है। एक मुल्जिम रोड़ीलाल की पत्नी का 04 दिवस पूर्व देहान्त होना बताया है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध नरमी का रूख अख्तियार करते हुए उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। अभियुक्तगण ने अन्य किसी प्रकरण में परिवीक्षा का लाभ प्राप्त नहीं किया हैं इस आशय का शपथ पत्र भी पत्रावली पर संलग्न है। इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्तगण को सख्त सजा दिये जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली व परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में अभियुक्तगण वर्ष 2015 से अंवीक्षा भुगत रहे हैं तथा ग्रामीण परिवेश के होकर अनपढ़ व्यक्ति है। प्रकरण में अभियुक्तगण की अन्य अपराधों में कोई पूर्व दोषसिद्धि पत्रावली पर दर्शित नहीं है। अतः प्रकरण

के तथ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए और प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा लम्बे वर्षों से भुगती जाने वाली अंवीक्षा को देखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश ::

17. परिणामस्वरूपः 1. रोड़ीलाल पुत्र भुरा बागरिया, आयु 31 वर्ष, निवासी पनोतिया, थाना रेलमगरा, जिला राजसमन्द एवं 2. भैरूलाल पुत्र भुरा बागरिया, आयु 36 वर्ष, निवासी पनोतिया, थाना रेलमगरा, जिला राजसमन्द आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भा.द.सं. में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अभियुक्तगण को तुरन्त कारावास की सजा से दण्ड़ित करने के बजाय धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त इस न्यायालय के संतोषप्रद 10,000/– रूपये का स्वयं का बंधपत्र इस आशय का प्रस्तुत कर प्रमाणित करा दें कि वे एक वर्ष तक शांति व सदाचार बनाये रखेंगे, इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर सजा भुगतने के लिये उपस्थित हो जायेंगे तथा साथ ही प्रत्येक अभियुक्त परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 800/–रूपये अक्षरे आठ सौ रूपये, कुल 1600/– रूपये अक्षरे एक हजार छः सौ रूपये अभियोजन व्यय राशि जमा करा दें तो उन्हें सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे।

18. अभियुक्तगण द्वारा अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् धारा 437 ए द0प्र0सं0 के तहत 10,000/– रूपये के जमानत मुचलके पेश किये जावे।

19. **प्रकरण में अभियुक्तगण 1. श्रीमती बदामी पत्नी स्व. छोगालाल बागरिया, उम्र 51 वर्ष, निवासी जीतावास, थाना रेलमगरा, जिला राजसमन्द एवं 2. छोगालाल पुत्र वरदा बागरिया, आयु 31 वर्ष, निवासी भैरूखेड़ा, थाना कुंवारिया, जिला राजसमन्द मफरूर है अतः पत्रावली का कोई भी भाग जाया नहीं किया जावे।**

(अनुपमा भटनागर)

20. निर्णय आज दिनांक 02.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अनुपमा भटनागर)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.04.29 10:25:26 IST